परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्याः–819एफए/16–105एफए/16 दिनांकः 12 अप्रैल,2016

1 प्रधान प्रबन्धक,
केन्द्रीय कार्यशाला/डा0राम मनोहर लोहिया कार्यशाला,
उ0प्र0परिवहन निगम,कानपुर।
2 प्रधानाचार्य,प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0परिवहन निगम,कानपुर।
3 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त),
उ0प्र0परिवहन निगम।
4 प्रबन्धक(आहरण–वितरण),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
मुख्यालय,लखनऊ।
5 प्रबन्धक,कारसेक्शन,
उ0प्र0 परिवहन निगम,लखनऊ।
6 अधिशासी अभियन्ता(पूर्व/पश्चिम)
निगम मुख्यालय,लखनऊ।
7 प्रबन्ध निदेशक,एलसीटीएसएल,
उ0प्र0 परिवहन निगम,लखनऊ।

विषय :– परिवहन निगम में कार्यरत ऐसे कार्मिक (जीआईएस कोड आवंटित न होने) एवं वर्ष 2015–16 में प्रोन्नत/पदावनत कार्मिको को उनके वेतन से बीमा धनराशि की कटौती किये जाने के सम्बन्ध में।

1– क्षेत्रो से प्राप्त सूचना के अनुसार यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय क्षेत्रो द्वारा कुछ ऐसे नियमित कार्मिक जिन्हें जीआईएस कोड आवंटित नही है, के वेतन से भी सामूहिक बीमा अंश की कटौती की जा रही है। चूँकि यह कार्मिक वर्तमान में किसी भी सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित नही है। नियमानुसार इनके वेतन से बीमा अंश की कटौती नही होनी चाहियें। इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही प्रस्तावित है।

अ. ईकाई स्तर पर उपरोक्त कटौती का परीक्षण कर, सक्षम स्तर से उक्त राशि सम्बन्धित कार्मिक को वापस कर दी जाये।

ब. जिन अधिकारी/उपाधिकारी द्वारा उक्त कटौती की गई है, का स्पष्टीकरण ईकाई प्रमुख द्वारा प्राप्त कर अवगत कराया जाये।

2– उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2015–16 में प्रोन्नत ऐसे कार्मिक अथवा पदावनत कार्मिक का मिलान मे0 एस0बी0आई0 लाईफ इंश्योरेंस से उपलब्ध सूची से कर लिया जाये यदि उनके द्वारा बीमा के सम्बन्ध में काटी गई धनराशि में कोई कमी अथवा बढ़ोत्तरी पायी जाती है तो उसको सम्बन्धित कार्मिक से प्राप्त कर लिया जाये अथवा कर दिया जाये। कार्मिकवार बीमा अंश जमा का विवरण मे0 एस0बी0आई0 लाईफ इंश्योरेंस की वेब साइड SbiLife.co.in पर उपलब्ध है। जिसके सम्बन्ध में पूर्व में इस कार्यालय के परिपत्र सं0–2226एफए/14–302एफए/11 दिनांक 08.12.2014 एवं पत्र सं0–145एफए/16–302एफए/11 दिनांक 20.01.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

अतः उक्त के परिपेक्ष्य में अपने स्तर से अभिलेखों की जांच कराकर तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराते हुये अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
वित्त नियंत्रक

EMED2/2014

Downloaded From www.upsrtc.com